न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व अपील संख्या 01/2015

1. श्रीमति दाखू पुत्री श्री रामसिंह पत्नी श्री करणा
2. श्रीमति उमदा पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री भंवर
   समस्त जाति चीता निवासी रतनसागर, मसूदा हाल निवासी अजयसर तहसील व जिला अजमेर।
3. श्रीमति शान्ति पुत्री रामसिंह पत्नी श्री पांचू
4. श्रीमति कमला पुत्री रामसिंह पत्नी श्री मिट्टू जी
   समस्त जाति बाडोत निवासी रतनसागर मसूदा हाल निवासी श्यामगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।

........अपीलान्ट्स

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री रामसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1 श्रीमति शायरी बेवा श्री उम्मेदसिंह
   1/2 गोपाल पुत्र श्री उम्मेदसिंह
   1/3 लक्ष्मण पुत्र श्री उम्मेदसिंह
   1/4 किशन पुत्र श्री उम्मेदसिंह
   1/5 शारदा पुत्री श्री उम्मेदसिंह
   1/6 सन्नू पुत्री श्री उम्मेदसिंह
   1/7 डाली पुत्री श्री उम्मेदसिंह
   1/8 संतोष पुत्री श्री उम्मेदसिंह
2. ईश्वर सिंह पुत्र रामसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1 श्रीमति मुन्नी पत्नी श्री ईश्वर सिंह
   2/2 रतन पुत्र श्री ईश्वर सिह
   2/3 सुरेन्द्र पुत्र ईश्वर सिह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/3/1 मीनाक्षी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिह
   2/3/2 चन्द्रभान सिह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
   2/3/3 चन्द्रवीर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
   2/3/4 खुशबू पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह
   } नाबालिगान जरिये संरक्षक माता श्रीमति मीनाक्षी
3. सुल्तान सिंह पुत्र श्री रामसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   3/1 सोहनी पत्नि श्री सुल्तान सिंह
   3/2 जमना पुत्री श्री सुल्तान सिंह
   3/3 गंगा सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिह
   3/4 लक्ष्मी पुत्री श्री सुल्तान सिह
   3/5 हरिसिंह पुत्र श्री सुल्तान सिह
   3/6 बोनी उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्री सुल्तान सिह
   3/7 गजेन्द्र पुत्र श्री सुल्तान सिह
4. मान सिंह पुत्र राम सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   4/1 भंवरी पत्नि श्री मानसिंह

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

4/2 मीरा पुत्री मान सिंह
4/3 जगदीश पुत्र मानसिंह
4/4 लीला पुत्री मानसिंह
4/5 प्रताप सिंह पुत्र मानसिंह
4/6 गीता पुत्री मानसिंह
4/7 पवन पुत्र मानसिंह

समस्त जाति मेहरात (चौहान राजपूत) निवासी पोलू का चोडा, रतन सागर पाल, मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर

5. विद्वान ग्राम पंचायत मसूदा पं0 सं0 मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर जरिये सरंपच।
6. विद्वान उपपंजीयक महोदय, मसूदा जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार विद्वान तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर।

.........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय विद्वान ग्र0 पं0 मसूदा दिनांक 25.02.98 अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 1310

निर्णय दिनांक 21.06.2017

अपीलार्थी ने प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 783 लगायत 789, 802, 803, एवं 808 कुल किता 10 रक्बा 24–07–00 की भूमियों में अपीलार्थिया के पिता रामसिंह खातेदार थे रामसिंह के वारिसान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 है श्री रामसिंह के सजरेनुसार श्रीमति दाखू, उमदा, शान्ति व कमला पुत्रीया रामसिंह है जो उक्त अपील में अपीलान्ट्स मुर्तिब है तथा श्रीमति उमराव बेवा रामसिंह तथा चारों पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है।

विद्वान ग्राम पंचायत मसूदा द्वारा दिनांक 25.02.1998 को मृतक श्रीरामसिंह पुत्र कज्जा सिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1310 मात्र रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 4 के नाम तस्दीक कर दिया जबकि पक्षकारान हिन्दु धर्म से होकर पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का पुत्रों के साथ बराबर हिस्सा निहित है चुकि श्रीमति उमराव बेवा रामसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिससे रामसिंह के वारिसान में चार पुत्रियां (अपीलान्ट्स) तथा चार पुत्र (जिनके वारिसान रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 4 है) वारिस होकर प्रत्येक अपीलान्ट्स 1/8 – 1/8 हिस्से के अधिकारी है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार श्री रामसिंह तत्पश्चात् श्रीमति उमराव के स्वर्गवास के साथ ही प्रत्येक अपीलान्ट में 1/8 – 1/8 निहित हो गया जैसा कि आर आर डी 1996 पृष्ठ 79 एवं 381 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर आर डी 1999 पृष्ठ 183 पर सिद्वान्त प्रतिपादित फरमाये गये है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा श्रीरामसिंह की विरासत में अपीलान्ट्स का नाम दर्ज नही किया गया उक्त अपील में संलग्न श्री रामसिंह का सजरा प्रस्तुत है जिससे स्पष्ट सिद्व है कि अपीलांटस श्री रामसिंह की जाईन्दा पुत्रिया है जिनकी वाद ग्रस्त भूमिया अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 को श्री रामसिंह की विरासत से प्राप्त हुई है जिसे नामान्तकरण संख्या 1310 के पृष्ठ भाग पर पटवारी हल्का द्वारा रामसिंह(रामा)

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

का अपूर्ण सजरा अंकित कर नामान्तकरण भरकर प्रस्तुत किया ग्राम पंचायत द्वारा श्री रामसिंह के वारिसान की धारा 133 भू राजस्व अधिनियम में अंकित प्रावधानों के तहत जांच किये बिना जिससे नामान्तकरण 1310 प्रथम दृष्ट्या त्रृटिपूर्ण एवं शुन्य होकर काबिल निरस्तनीय है।

जिसकी जानकारी अपीलार्थिया को दिनांक 10.10.2014 को तहसील कार्यालय से नकले निकलवाने पर हुई तब अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रतिया प्राप्त करने के कारण देरी हुई है अतः देरी क्षमा योग्य है क्षमा की जावे और अपील अभिलेख पर की जावे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षान सुनी गई प्रार्थिया का निवेदन रहा कि राजस्व रिकार्ड से अनभिग्य एवं जानकारी नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील देरी के लिए क्षमा करते हुए अपील अभिलेख पर ली जाती है।

अपीलार्थिया ने इस प्रार्थना पत्र में कथन दौहराते हुए अपनी अपील में निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष में प्रश्नगत भूमियों का नामान्तकरण संख्या 1310 दिनांक 25.02.1998 दर्ज कर दिया है। जिसे प्रत्यर्थी संख्या 5 के द्वारा स्वीकार कर दिया गया है उसे निरस्त फर्माया जावे। तथा अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी के पक्ष में हिस्सेनुसार नामान्तकरण स्वीकृत कराने के आदेश प्रदान करावे।

अपील पर बहस उभयपक्षान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम मसूदा की जमाबंदी सम्वत् 2051–54 के खाता संख्या 707 में आराजी खसरा नम्बर 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 802, 803, 808 किता 10 रक्बा 24–7–00 बीघा भूमि के राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड जयपुर रामा वल्द कज्जा कोम मेहरात निवासी घोलादाता कृषक खातेदार दर्ज है इसी के खाना केफियत के नामान्तकरण संख्या 1310 दिनांक 25.02.1998 का अमल किया गया है। जिसके अनुसार सम्पूर्ण आराजी अपीलार्थियों ए प्रत्यर्थीगण के पिता के नाम लगाई गई है जिसके अनुसार नामान्तकरण संख्या 1310 दिनांक 25.02.1998 अकेले प्रत्यर्थीगण को खातेदार अंकित कर दिया गया जो सर्वथा विधि विरूद्व एवं गैरकानूनी है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थिया आशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम मसूदा का नामान्तकरण संख्या 1310 दिनांक 25.02.1998 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मसूदा को प्रकरण रिमांड कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मसूदा की जमाबंदी सम्वत् 2051–54 के खाता संख्या 707 को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत आराजी में अपिलार्थिया के नाम नामान्तकरण स्वीकार करावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:45:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: